न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—374 / 2018 / 225 (2018 / 00374)

1. जगदीश,
2. ओमप्रकश,
3. रामावतार शर्मा,
4. कृष्णावतार शर्मा,

समस्त पुत्रगण स्व0 भंवरलाल शर्मा, नि0 ग्राम अंनतपुरा, तहसील दूदू जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. हेमराज शर्मा पुत्र स्व0 भंवरलाल शर्मा, नि0 डी— 274 जगदम्बा नगर, अजमेर रोड़, जयपुर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) दूदू, जयपुर दिनांक 13.7.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 3 / 2016.

उपस्थितः—

1. श्री रामावतार शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, वकील रेस्पोडेंट ।

निर्णय

दिनांकः—

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) दूदू के आदेश दिनांक 13.7.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 / प्रार्थी ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 (2) राज0काश्त0अधि0 1955 सपठित आदेश 40 नियम 1 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा उक्त उनवानी विरूद्ध प्रतिवादीगण के खसरा संख्या 196 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 197 रकबा 1.59 है0, खसरा नंबर 201 रकबा 0.91 है0, खसरा नंबर 202 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 208 रकबा 0.52 है0, खसरा नंबर 350 रकबा 0.37 है0, खसरा नंबर 360 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 361 रकबा 0.08 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.82 है0 व खाता संख्या 79 के खसरा नंबर 504 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 505 रकबा 0.92 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम अनंतपुरा, तहसील मौजमाबाद बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 1 / 5, 1 / 5 हिस्सा है । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश के बावजूद कृषि भूमि पर गढ्ढे खोद दिये तथा वृक्षों की कटाई कर दी है और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है जबकि वादी व प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि में समान हिस्सा है तथा वह सहखातेदारी की श्रेणी में आने से इंच दर इंच पर प्रत्येक का कानूनन कब्जा माना जाता है । विपक्षीगण वादी के स्वामित्व अधिकारों को नकारते हएु जवाब प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में

कृषि भूमि का स्वामित्व इनमिडियो है और इस स्थिति में न्यायहित में उपरोक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त करना आवश्यक है ताकि पक्षकारों के हितों की रक्षा हो सके । अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को आदेशित किया कि 20000/—रू0 अर्थात् 5000/—रू0 प्रति बीघा की दर से प्रतिवर्ष दोनों फसलों की राशि तहसीलदार, मौजमाबाद को जमा करावे । इस वर्ष की राशि 7 दिवस के भीतर तहसीलदार के यहां नकद प्रतिभूमि जमा करवा कर विवादित भूमि पर काश्त करे । यदि अप्रार्थीगण 7 दिवस में नकद प्रतिभूमि राशि 20,000/— तहसीलदार के यहां जमा नहीं होने की स्थिति में तहसीलदार मौजमाबाद को उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है । प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 के आदेशों की कभी कोई अवहेलना नहीं की है न ही कृषि भूमि पर स्थगन आदेश के प्रभाव में आने के बाद किसी तरह के गड्डे ही खोदे है तथा न ही पेड़ो की कटाई की है । प्रार्थी/रेस्पो0 ने जिन गढ्ढो के संबंध में कृषि भूमि के उपजाऊपन को नष्ट करने का आधार लिया है वह मिथ्या है क्योंकि उक्त गढ़ढा फार्म पोण्ड है जो कि कृषि सुधार की श्रेणी में आता है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 ने कृषि विभाग के दस्तावेज वादी के मूल दावे के चरण संख्या 6 में अंकित कथनों का हवाला देते हुए वादी के इस मिथ्या आरोप की स्थगन आदेश के प्रभाव में आने के बाद विपक्षीगण/अपीलांटस ने खसरा संख्या 360 पर खड्डे खोद दिये है गलत है जबकि वादी/रेस्पो0 ने स्वंय अपने वादपत्र में गढढे खोदने की बात कही है ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश प्रभाव में आने के बाद खसरा नंबर 360 में खढढे खोदने के संबंध में किया गया तर्क मिथ्या है। दौराने बहस विपक्षीगण ने एक विधिसम्मत् तर्क यह भी प्रस्तुत किया था कि रिसीवर नियुक्ति की जाकर कब्जाधारी खातेदारों को विधिवत् बेदखल नहीं किया जा सकता है और इसके समर्थन में स्वंय वादी द्वारा प्रस्तुत मूल दावे व विविध प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत अभिवचनों जिसमें स्वंय वादी अपने आपको कब्जे में नहीं होने का कथन करता है का हवाला दिया था लेकिन इन स्वीकारात्मक तथ्यों का व प्रस्तुत तर्क का संबंधित प्रकरण में क्या प्रभाव है इस संबंध में कोई अभिनिश्चिय अपने निर्णय व आदेश में नहीं दिया जिसकी वजह से अधी0न्याया0 का आदेश दूषित है । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष यह तर्क भी प्रस्तुत किया था कि जब प्रकरण में प्रार्थी/वादी के प्रार्थना पत्र पर स्थगन आदेश पारित किये हुए है और ऐसी स्थिति में जब यथास्थिति के आदेश प्रभाव में है तो न्यायालय अलग से समानांतर आदेश रिसीवर नियुक्त करने का नहीं दे सकता है जो कि एक कठोरतम उपचार है । अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने रिसीवर नियुक्ति के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 23.5.2016 को पक्षकारों के अधिवक्तागण की बहस सुनी थी लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र को लंबी अवधि के बाद दिनांक 13.7.2016 को निर्णित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिसीवर नियुक्त करने के नाम पर कब्जेधारी खातेदार को कृषि भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर

अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 13.7.2016 निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में 2011 (3) अपेक्स कोर्ट जजमेंट पेज 001 सुप्रीम कोर्ट, 2016 डब्ल्यू0एल0सी0 यू0सी0 पेज 257, आर0आर0डी0 1989 पेज 160, आर0आर0डी0 1970 पेज 351, ए0आई0आर0 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 2477, आर0आर0डी0 1988 पेज 143 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने जवाब बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है । अपीलांटस एवं रेस्पो0 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है । विवादित आराजियात अपीलांटस एवं रेस्पो0 के पिता स्व0 भूरा उर्फ भंवरलाल के कब्जे काश्त व खातेदारी की रही है । वर्ष 1981 में पिताजी के स्वर्गवास के बाद पांचों भाईयों अपीलांटस एवं रेस्पो0 के नाम विरासत नामांतकरण 1/5, 1/5 हिस्से बराबर–बराबर स्वीकार हुआ है । उक्त भूमि के 4/5 हिस्से में अपीलांटस एवं 1/5 हिस्से का रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है । पक्षकारान केबीच मनबट के आधार पर वर्ष 1990 से वे अलग–अलग हो गये तथा खसरा नंबर 504 व 505 पर रेस्पो0 का कब्जा रहा है किन्तु अपीलांटस ने रेस्पो0 की बोई फसल को उछेल दिया । रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 में वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का भी पेश किया गया था जिसमें अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 13.7.2015 को विवादित आराजियात के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है । उक्त आदेश में विवादित आराजियात बाबत् अपीलांटस को प्रार्थी/रेस्पो0 के 1/5 हिस्से के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने, भूमि के किसी विशिष्ट भूभाग का विक्रय नहीं करने एवं किसी विशिष्ट भूभाग पर कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद किया था । बहस में आगे कथन किया कि संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है । इस संबंध में आर0आर0टी0 2002 (2) पेज 1131 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया । यह भी कथन किया कि सहखातेदारी की भूमि पर कब्जा मुखालफाना का सिद्धांत लागू नहीं होता है तथा संयुक्त कृषि भूमि में एक सहकाश्तकार द्वारा भी विभाजन का दावा पेश किया जा सकता है। इस संबंध में आर0आर0टी0 2004 पेज 1066 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया । अपीलांटस रेस्पो0 को सहखातेदार मानते है साथ ही रेस्पो0 को विवादित भूमि से हटाना भी मानते है तथा विशिष्ट भूभाग पर खड्डे खेदते है, पेड़ काटते है तथा पक्का निर्माण करने हेतु पत्थर डाल रहे है जिसकी रिपोर्ट अधी0न्याया0 में पेश तहसीलदार मौजमाबाद की मौका रिपोर्ट दिनांक 1.12.2015 से स्पष्ट है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् है। । यह भी कथन किया कि मुखालफाना कब्जे के आधार पर किसी सहकृषक के हित समाप्त नही किये जा सकते है । इस संबंध में आर0आर0टी0 2005 पेज 1429 एवं आर0बी0जे0 2005 पेज 512 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । अपीलांटस ने रेस्पो0 के उसके 1/5 हिस्से को नकारते हुए दौराने वाद विवादित भूमि से जबरन बेदखल किया है, पेड काटे है, खड्डे खोदे है तथा निर्माण करने पर उतारू है इसीलिये अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया किन्तु अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के आदेशों की अवहेलना किये जाने से विद्वान अधी0न्याया0 ने विवादित भूमि पर रिसीवरी के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । इस संबंध में रेस्पो0 द्वारा न्यायिक दृष्टांत 1977 आर0आर0डी0 पेज 399 व 500, आर0आर0डी0 1980 पेज 264, आर0आर0डी0 1993 पेज 277, आर0आर0डी0 2007 पेज 757, आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 211, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1215 ,

आर0आर0टी0 2013 पेज 768, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 520, आर0बी0जे0 2001 पेज 462 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी हेमराज ने अधी0न्याया0 में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में दिनांक 13.7.2015 को राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये थे परन्तु इस आदेश के बावजूद अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा विवादित भूमि पर खड्डे खोद दिये गये, वृक्षों की कटाई कर दी गई एवं जमीन को खुर्द–बुर्द कर दिया गया जिससे प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात भी हो रहा है एवं अधी0न्याया0 के आदेश की अवहेलना हो रही है । इस संबंध में अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 13.7.2015 का अवलोकन किया गया जिसमें अधी0न्याया0 द्वारा यह आदेश पारित किया कि अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से जवाब प्रस्तुत किये जाने तक पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी रहन, बैचान नहीं करे, मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । जवाब में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने कथन किया कि कृषि भूमि पर किसी तरह के खड्डे नहीं खोदे गये एवं न ही पेड़ों की कटाई की गई है । यह भी कथन किया कि काफी धन व श्रम खर्च कर भूमि को कृषि योग्य व उपजाउ बनाया गया है । विवादित भूमि के संदर्भ में तहसीलदार, मौजमाबाद की रिपोर्ट दिनांक 1.12.2015 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन भूमि के खसरा नंबर 360 में फार्म पोण्ड व 6X6X1/2 का एवं 2X2X1 के खड्डे खुदे हुए है एवं खसरा नंबर 361 में दो विलायती बबूल सूखे पड़े है तथा 505 खसरा नंबर में एक विलायती बबूल सूखा पड़ा है तथा जुताई भी हो रखी है एवं खसरा नंबर 504 मौके पर पड़त है । इस रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि में खड्डे खोदने का स्पष्ट उल्लेख किया है एवं पेड़ कटे होने का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है । जबकि अप्रार्थीगण को अधी0न्याया0 द्वारा विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया था इसके बावजूद भी विवादित भूमि में खड्डे खोदकर, पेड़ काटकर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है । प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए एवं कृषि भूमि को नुकसान नहीं पहुंचे इस आशय से अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसंगत प्रतीत होता है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन भूमि पर ताफैसला वाद तहसीलदार, मौजमाबाद को अपीलाधीन भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने में कोई विधिक त्रुटि कारित किया जाना जाहिर नहीं होता है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) दूदू के आदेश दिनांक 13.7.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,